राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800014

वॉक–इन–इन्टरव्यू

फिजियोथेरापिस्ट एवं ऑकुपेशनलथेरापिस्ट के संविदागत रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु पूरे राज्य में दिनांक 10.02.2014 को वॉक–इन–इन्टरव्यू का आयोजन

राज्य के 36 सदर अस्पतालों में संविदागत फिजियोथेरापिस्ट एवं ऑकुपेशनलथेरापिस्ट के रिक्ति को त्वरित गति से भरने हेतु राज्य के **सभी जिला स्वास्थ्य समितियों में दिनांक 10.02.2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से वॉक–इन–इन्टरव्यू** का आयोजन किया जाता है, जिसमें इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार भाग ले सकते हैं ।

क्रम सं0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	योग्यता/अर्हता	मानदेय (प्रति माह)
1	फिजियोथेरापिस्ट	❖ सभी जिला अस्पतालों में एक–एक फिजियोथेरापिस्ट, अर्थात् कुल 36 पद । (पटना एवं दरभंगा जिले को छोड़कर) ❖ सभी जिला अस्पतालों में एक–एक ऑकुपेशनलथेरापिस्ट, अर्थात् कुल 36 पद । (पटना एवं दरभंगा जिले को छोड़कर) ❖ इन पदों के लिए आरक्षण रोस्टर निम्नवत् है – ★ अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीतामढ़ी एवं सुपौल – **सामान्य श्रेणी**। ★ अरवल, बक्सर, जमुई, मधेपुरा, पूर्णिया, शिवहर एवं वैशाली – **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग** । ★ बांका, पश्चिम चंपारण, कटिहार, नालन्दा, सहरसा एवं सीवान – **अनुसूचित जाति** । ★ भागलपुर, गोपालगंज, मुंगेर एवं सारण – **पिछड़ा वर्ग** । ★ किशनगंज – **पिछड़ा वर्ग (महिला)**।	★ सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरापिस्ट/ऑकुपेशनलथेरापिस्ट की डिग्री/ डिप्लोमा । ★ डिग्रीधारकों को प्राथमिकता दी जायेगी। डिग्रीधारक अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में ही डिप्लोमाधारक पर विचार किया जायेगा । साथ ही किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम के स्वास्थ्य संस्थानों में एक वर्ष के कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी ।	★ मानदेय प्रति माह 20,000/– रूपये होगा । ★ अस्पताल में संरक्षित उपकरणों से प्राप्त यूजर चार्जेज के 30 प्रतिशत राशि का भुगतान चयनित अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जायेगा।
2	ऑकुपेशनलथेरापिस्ट			

सामान्य निर्देश –

1. फिजियोथेरापिस्ट एवं ऑकुपेशनलथेरापिस्ट पदों के लिए न्यूनतम आयु–सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु–सीमा 60 वर्ष दिनांक 10.02.2014 तक होगी ।
2. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए किया जायेगा । एक वर्ष के पश्चात सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर कार्य मूल्यांकन के आधार पर संविदा को अगले तीन वर्षों तक विस्तारित किया जा सकेगा । इस तीन वर्षों का विस्तार प्रत्येक वर्ष के कार्य मूल्यांकन के आधार पर आधारित होगा ।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार/संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति कभी भी विधि–सम्मत् तरीके से संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।
4. इस संविदागत नियोजन के आधार पर किसी भी तरह का नियमितीकरण/पुनर्व्यवस्थापन अथवा, पुनर्नियोजन मान्य नहीं होगा ।

चयन का आधार –

5. उम्मीदवार के चयन का आधार उनके डिग्री/डिप्लोमा के पूरे सत्र के प्राप्तांक का प्रतिशत होगा ।
6. डिग्रीधारक अभ्यर्थी नहीं प्राप्त होने की स्थिति में ही डिप्लोमाधारकों के अभ्यर्थिता पर विचार किया जायेगा ।
7. आवेदक सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों यथा–शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र, किसी फौजदारी मुकदमें में दंडित नहीं होने का प्रमाण–पत्र, जन्म–तिथि से संबंधित मैट्रीकुलेशन का प्रमाण–पत्र एवं पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आकार का दो अभिप्रमाणित प्रति के साथ संबंधित जिले के **जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय में दिनांक 10.02.2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से 5.00 बजे तक वॉक–इन इन्टरव्यू** में सम्मिलित हो सकते हैं ।
8. राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा ।
9. अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य समिति के सूचना पट्ट पर दिनांक 11.02.2014 को प्रकाशित की जायेगी । चयन सूची के प्रकाशन के पश्चात दिनांक 13.02.2014 तक चयनित अभ्यर्थियों को योगदान करना होगा । यदि किसी अपरिहार्य कारणवश समय–सीमा के अन्दर किसी अभ्यर्थी के लिए योगदान करना संभव नहीं होगा तो उन्हें इस आशय की सूचना संबंधित सिविल सर्जन को दिनांक 13.02.2014 को देनी होगी, अन्यथा उनका चयन स्वतः रद्द माना जायेगा ।
10. राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार उपरोक्त अंकित किसी भी पद पर चयन की प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।

सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेषक